



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17012023-242028
CG-DL-E-17012023-242028

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 17, 2023/पौष 27, 1944

No. 21]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 17, 2023/PAUSHA 27, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2023

सं. 51/2015-2020

विषय: स्कोमेट मर्दों के 'भंडारण एवं बिक्री' के लिए निर्यात प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.79क में संशोधन।

फा. सं. 01/91/171/37/एएम10/ईसी(एस).—विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-20 की प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी) के पैराग्राफ 2.79क (भंडारण एवं बिक्री) में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

2. विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-20 की प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी) के पैराग्राफ 2.79क को प्रतिस्थापित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:—

“2.79क स्कोमेट मर्दों के ‘भंडारण एवं बिक्री’ के लिए निर्यात प्राधिकार पत्र जारी करना।

स्कोमेट मर्दों (श्रेणी 0, श्रेणी 3क 4001, श्रेणी 6 और किसी श्रेणी के तहत प्रोद्योगिकी के अंतरण को छोड़कर) को भारतीय निर्यात से विदेश स्थित किसी इकाई (जिसे इसके पश्चात् ‘स्टॉकिस्ट’ कहा जाएगा) को बल्क निर्यात करने और तत्पश्चात् अंतिम वास्तविक प्रयोक्ता को इसे हस्तांतरित करने के लिए प्राधिकार पत्र मंजूर करने के लिए आवेदन पर निम्नलिखित शर्तों के तहत आईएमडब्ल्यूजी द्वारा विचार किया जाएगा:

नीति की प्रयोज्यता एवं विस्तार क्षेत्र

- क. 'स्टॉकिस्ट' विदेश में ऐसी इकाई को संदर्भित करता है जिसके लिए स्कोमेट मद मूल रूप से भारत की प्रधान/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी द्वारा निर्यात किए जाते हैं। स्टॉकिस्ट इकाई को भारतीय निर्यातक की विदेश में स्थित एक सहायक/प्रधान कम्पनी होना चाहिए;
- ख. निर्यात की अनुमति भारतीय मूल कंपनी (आवेदक निर्यातक) से उसकी विदेशी सहायक कंपनी को या विदेशी कंपनी (आवेदक निर्यातक) की भारतीय सहायक कंपनी से उसकी विदेशी मूल कंपनी/विदेशी मूल कंपनी की अन्य सहायक कंपनी को और स्टॉकिस्ट से, भंडारण एवं बिक्री उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट अंतिम उपयोगकर्ता प्रमाणपत्र (ईयूसी) के माध्यम से अंतिम उपयोग घोषणा के आधार पर दी जाएगी

टिप्पणी: क. और ख. उपरोक्त कुछ मामलों में, मद के विवरण/अंतिम उपयोग/अंतिम उपयोगकर्ता पर विचार करते हुए आईएमडब्ल्यूजी प्रावधानों में छूट दे सकता है।

विदेश स्थित स्टॉकिस्ट को निर्यात हेतु और विशिष्ट देशों में वास्तविक प्रयोक्ताओं को स्थानांतरित करने हेतु आवेदन

- ग. निर्यातक स्टॉकिस्ट से निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रपत्र (एएनएफ-2ण) में आवेदन प्रस्तुत करेगा;
- भारतीय निर्यातक और स्टॉकिस्ट के बीच कॉरपोरेट संबंध के संबंध में दस्तावेजी प्रमाण;
 - परिशिष्ट 2ध (iii) में विदेश स्थित स्टॉकिस्ट इकाई से वास्तविक-प्रयोग/वास्तविक प्रयोक्ता प्रमाणपत्र;
 - देशों (ईयूसी में) की सूची जिसके लिए भारत से आयातित मदों को स्टॉकिस्ट द्वारा निर्यात किया जाएगा;
 - खरीद आदेश (आदेशों)/बीजक (बीजकों) अथवा इसके एवज में दस्तावेज;
 - उत्पाद (उत्पादों) का तकनीकी विनिर्देशन;
 - आन्तरिक अनुपालन कार्यक्रम की प्रतिलिपि (यदि आवेदक निर्यातक/स्टॉकिस्ट इकाई के पास हो)

स्टॉकिस्ट को निर्यात करने हेतु तथा स्टॉकिस्ट के देश के भीतर स्टॉकिस्ट द्वारा बिक्री हेतु तथा अन्य देशों में वास्तविक प्रयोक्ताओं को स्टॉकिस्ट द्वारा पुनः निर्यात करने हेतु सैद्धांतिक अनुमोदन

- घ. स्टॉकिस्ट को निर्यात करने हेतु प्राधिकार पत्र प्रदान करने तथा आईएमडब्ल्यूजी द्वारा अनुमोदित अंतिम वास्तविक उपयोग हेतु विनिर्दिष्ट देशों को पुनः निर्यात हेतु सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए आवेदन का आंकलन किया जाएगा;
- ङ. स्टॉकिस्ट के देश के अंदर स्टॉकिस्ट से अंतिम वास्तविक प्रयोक्ता (प्रयोक्ताओं) को हस्तांतरण करने तथा ऐसे अनुमोदित देशों वास्तविक प्रयोक्ताओं को पुनः निर्यात करने के लिए कोई प्राधिकार-पत्र अपेक्षित नहीं होगा;
- च. ऐसे अनुमोदित देशों को किया जाने वाला पुनः निर्यात स्टॉकिस्ट के देश के निर्यात नियंत्रण विनियमों के अधीन होगा;
- छ. देश एक स्वतंत्र सार्वभौम इकाई को निरूपित करेगा जो राजनीतिक भूगोल में एक विशिष्ट राष्ट्रीय इकाई है। अतः आर्थिक संघ या सीमा शुल्क संघ के भीतर हस्तांतरण 'उसी देश को हस्तांतरण, के रूप में पात्र नहीं होगा;

स्टॉकिस्ट द्वारा एक ही देश में हस्तांतरण और पूर्ण अनुमोदित देशों को पुनः निर्यात करने के लिए पोस्ट-रिपोर्टिंग

- ज. एक ही देश के भीतर स्टॉकिस्ट द्वारा की जाने वाली बिक्री/हस्तांतरण तथा उन देशों जहां सैद्धांतिक अनुमोदन दिया गया है, में वास्तविक प्रयोक्ताओं को पुनः निर्यात/पुनः स्थानान्तरण के मामले में भारतीय निर्यातक/लाइसेंसधारी की डीजीएफटी (मुख्यालय) के स्कोमेट प्रभाग को प्रत्येक ऐसे स्थानांतरण के 3 माह के भीतर अंतिम गंतव्य देशों (स्टॉकिस्ट के देश के बाहर के निर्यात के लिए) में प्रविष्टि बिल के साथ सभी अंतिम वास्तविक प्रयोक्ताओं से वास्तविक प्रयोक्ता प्रमाणपत्र (ईयूसी) [परिशिष्ट 2ध (i)/2ध (ii), जैसा लागू हो] सहित ऐसे किए गए सभी हस्तांतरणों का ब्यौरा एएनएफ 2ण (क) में प्रस्तुत करना होगा;

अन्य देशों (पूर्व-अनुमोदित से भिन्न) को पुनः निर्यात हेतु आवेदन

- झ. स्टॉकिस्ट के देश के बाहर स्टॉकिस्ट इकाई से वास्तविक प्रयोक्ताओं को मदों के पुनः निर्यात/पुनः स्थानांतरण जिसके लिए प्रारंभिक चरण में कोई सैद्धांतिक अनुमोदन नहीं दिया गया है, के मामले में भारतीय निर्यातक (भण्डारण और बिक्री प्राधिकार पत्र धारक) स्टॉकिस्ट इकाई से निम्नलिखित दस्तावेज प्राप्त करने के पश्चात् ई-मेल (scomet-dgft@nic.in) के माध्यम से एएनएफ 2ण (क) में डीजीएफटी (मुख्यालय) में स्कोमेट प्रभाग को पुनः निर्यात/पुनः स्थानांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा;
- परिशिष्ट 2ध (i)/2ध (ii), जैसा लागू हो के अनुसार आपूर्ति श्रृंखला में प्रत्येक लिंक से वास्तविक प्रयोक्ता/वास्तविक उपयोग प्रमाणपत्र
 - क्रय आदेश (आदेशों/बीजक (बीजकों) अथवा इनके स्थान पर कोई दस्तावेज
 - स्थानांतरण होने वाले उत्पाद का तकनीकी विनिर्देशन (केवल तभी जब स्टॉकिस्ट द्वारा उत्पाद में कोई मूल्य वर्धन किया गया है)

ज. आईएमडब्ल्यूजी वास्तविक प्रयोक्ता/वास्तविक उपयोग सत्यापन के आधार पर ऐसे पुनः निर्यात/पुनः स्थानांतरण अनुमत करने हेतु निर्यात प्राधिकार पत्र पर विचार करेगा;

पुनः किए जाने वाले ऑर्डरों के मामलों में

ट. समान स्टॉकिस्ट इकाई को समान स्कोमेट मदों के निर्यात के लिए आवेदन, और स्टॉकिस्ट इकाई से अंतिम प्रयोक्ताओं को समान स्कोमेट मदों का पुनः निर्यात/पुनः स्थानांतरण (स्टॉकिस्ट इकाई के देश के भीतर और केवल अंतिम अंतिम उपयोग वाले देशों में जहां—सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है), यानी पुनः किए जाने वाले ऑर्डर, आईएमडब्ल्यूजी के सदस्यों के साथ किसी भी परामर्श के बिना आईएमडब्ल्यूजीके अध्यक्ष द्वारा विचार किया जाएगा।

स्टॉकिस्ट की माल सूची तथा हस्तांतरण/पुनः निर्यात से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट देना

ठ. भारतीय निर्यातक (भण्डारण एवं बिक्री प्राधिकार-पत्र धारक) भारत से स्टॉकिस्ट को किए गए निर्यात, अंतिम वास्तविक प्रयोक्ता को स्टॉकिस्ट द्वारा किए गए हस्तांतरण तथा प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के 31 दिसंबर तक स्टॉकिस्ट इकाई की माल-सूची का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक प्रस्तुत करेगा। ऐसा न करने पर भण्डारण एवं बिक्री नीति के अंतर्गत जुर्माना लगाया जा सकता है/प्राधिकार-पत्र को रद्द किया जा सकता है;

ड. भण्डारण एवं बिक्री प्राधिकार-पत्र के अंतर्गत स्टॉकिस्ट इकाई को निर्यात की गई मदों को प्राधिकार-पत्र की वैधता अवधि के अंदर अंतिम वास्तविक प्रयोक्ता (प्रयोक्ताओं) को हस्तांतरित किया जाना चाहिए जैसा कि प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.16 में उल्लेख किया गया है;

ढ. प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.80 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार प्राधिकार-पत्र का पुनर्वैधीकरण किया जा सकता है;

3.इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:

विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-20 की प्रक्रिया पुस्तिका (एचबीपी) के अनुच्छेद 279क के तहत मौजूदा "स्टॉक और बिक्री" नीति को विदेशी कंपनी (आवेदक निर्यातक) की भारतीय सहायक कंपनी से उसकी विदेशी मूल कंपनी/विदेशी मूल कंपनी की अन्य सहायक कंपनी को निर्यात के लिए नीति की प्रयोज्यता को संशोधित करने और भंडारण एवं बिक्री नीति के तहत पुनः आदेश प्राधिकार पत्र की अनुमति प्रदान करने हेतु संशोधित किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 17th January, 2023

No. 51/2015-2020

Subject:-Amendments in Para 2.79A of Handbook of Procedures for issue of export authorization for "Stock and Sale" of SCOMET items.

F. No. 01/91/171/37/AM10/EC(S).—In exercise of the powers conferred under Paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Director General of Foreign Trade, hereby makes amendments to Paragraph 2.79A (Stock and Sale) of the Handbook of Procedures (HBP) of the Foreign Trade Policy (FTP) 2015-20, with immediate effect.

2. The paragraph 2.79A of the Handbook of Procedures (HBP) of the Foreign Trade Policy (FTP) 2015-20 is substituted to read as under:

"2.79A Issue of export authorization for "Stock and Sale" of SCOMET items

Application for grant of authorization for bulk export of SCOMET items (excluding Category 0, Category 3A4001, Category 6 and transfer of technology under any category) from an Indian exporter to an entity abroad (hereinafter referred to as 'stockist') for subsequent transfer to the ultimate end users shall be considered by IMWG, on the following conditions:

Applicability and scope of policy

- a. 'Stockist' refers to the entity abroad to whom the SCOMET items are originally exported by Indian principal/wholly owned subsidiary. The Stockist entity should be a subsidiary/principal company abroad of the Indian exporter;
- b. Export shall be permitted from the Indian parent company (applicant exporter) to its foreign subsidiary company or from the Indian subsidiary of foreign company (applicant exporter) to its foreign parent/another subsidiary of foreign parent company and; on the basis of an End Use declaration from the stockist, through the specified End User Certificate (EUC) for 'stock & sale' purpose;

Note: IMWG may relax the provisions of a. and b. above in certain cases, considering the description/end use/end user of the item.

Application for export to stockist abroad and transfer to end users in specific countries

- c. The exporter shall submit application in prescribed proforma (ANF-2O) along with following documents from the stockist:
 - i. Documentary proof regarding corporate relationship between the Indian exporter and stockist;
 - ii. End-use/End-user Certificate from stockist entity abroad in Appendix-2S (iii);
 - iii. List of countries (in the EUC) to which the items imported from India would be exported by the stockist;
 - iv. Purchase Order(s)/Invoice(s) or a document in lieu thereof;
 - v. Technical specifications of the product(s);
 - vi. Copy of Internal Compliance Program (if applicant exporter/ stockist entity has one)

In-principle approval for export to the stockist, and, for sale by stockist within the country of the stockist, and, for re-export by stockist to end user in other countries

- d. The application would be assessed for grant of authorization for export to the stockist, and, for grant of in-principle approval for re-export to specified countries of ultimate end use approved by the IMWG;
- e. No authorization would be required for transfer from the stockist to the ultimate end user(s) within the country of the stockist and for re-export to end users in such approved countries;
- f. Re-export to such approved countries would be subject to the export control regulations of the country of the stockist;
- g. Country would denote an independent sovereign entity which is a distinct national entity in political geography. Hence, transfers within an economic union or a customs union would not qualify as "same country transfers";

Post-reporting for same country transfer and re-export to pre-approved countries by the stockist

- h. In case of sale/transfer by the stockist within the same country and for re-export/re-transfer to the end users in countries, for which, in-principle approval has been granted, the Indian exporter/licensee shall submit details of all such transfers to SCOMET Division of DGFT (Hqrs) in ANF-2 O(a), including EUCs [Appendix-2S (i) /2S(ii), as applicable] from all ultimate end users and Bill of Entry into the ultimate destination countries (for export outside the country of stockist), within 3 months of every such transfer;

Application for re-export to other countries (other than pre-approved)

- i. In respect of re-export/re-transfer of items from the stockist entity to the end users outside the country of the stockist, for which, in-principle approval has not been granted at the initial stage, the Indian exporter (stock and sale authorization holder) shall submit application for re-export/re-transfer to SCOMET Division in DGFT (Hqrs), in ANF 2O(a), through email (scomet-dgft@nic.in), after obtaining following documents from the stockist entity:
 - (i) End-use/End-user Certificate from each link in the supply chain as per Appendix-2S (i) /2S(ii), as applicable;
 - (ii) Purchase Order(s)/Invoice(s) or a document in lieu thereof ;
 - (iii) Technical specifications of the product to be transferred (only if there is any value addition in the product by the stockist)
- j. IMWG shall consider export authorizations for allowing such re-export/re-transfer based on end use/end user verification;

Repeat Order cases

- k. Applications for export of same SCOMET items to same stockist entity, and re-export/re-transfer of same SCOMET items from the stockist entity to the end-users (within the country of stockist entity and only the countries of ultimate end use where in-principle approval has been granted), i.e. repeat orders, shall be considered by Chairman IMWG, without any consultation with IMWG members;

Annual reporting on inventory of the stockist and transfers/re-exports

- l. The Indian exporter (Stock & Sale Authorization holder) shall submit a statement of exports made from India to the stockist, transfers made by the stockist to the final end-users and inventory with the stockist, as on 31st December of each calendar year, by 31st January of the following year. A failure to do so may entail imposition of penalty and /or cancellation of authorization under the stock and sale policy;
- m. The items exported to the stockist entity under the stock and sale authorization should be transferred to the final end-user(s) within the validity period of the authorization as in paragraph 2.16 of HBP;
- n. The authorization may be revalidated as per the procedure mentioned in paragraph 2.80 of HBP;

3. Effect of this Public Notice:

The existing "Stock and Sale" policy under Paragraph 2.79A of the Handbook of Procedures (HBP) of the Foreign Trade Policy (FTP) 2015-20 has been amended to revise the applicability of the policy for export from the Indian subsidiary of foreign company (applicant exporter) to its foreign parent/another subsidiary of foreign parent company and allow repeat order authorization under the Stock and Sale policy.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
& Ex-Officio Addl. Secy.